न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

राजस्व प्रार्थना संख्या 287/23 आदेश   दिनांक :- 03/01/2024

प्रार्थी पीरेखां पुत्र वली मोहम्मद जाति तेली मुसलमान निवासी आहोणी बेनीवालों की ढाणी, माधासर, तहसील बायतु के द्वारा माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के न्यायालय में एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी बायतु के द्वारा पारित आदेश क्रमांक/वाद/2017/1347 दिनांक 19.09.2017 पेश की गई। उक्त अपील बाद सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि तहसीलदार बायतु से मौका जांच कर, उभयपक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करें।

पत्रावली प्राप्त होने के बाद दिनांक 20.07.2023 को पुनः दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगणों को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। बाद नोटिस तलब विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। साथ ही तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार बायतु से पत्रांक 270 दिनांक 22.09.2023 प्राप्त हुई

अतः पत्रावली के साथ राजस्व रैकर्ड एवं तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पूर्व में राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण आदेश क्रमांक/राजस्व/2014/3978 दिनांक 18.12.2014 के अवलोकन करने पर पूर्व में पारित आदेश 1347 दिनांक 19.09.2017 को अपास्त कर पूर्व में विप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 761/674 के समर्पित नए खसरा नम्बर 851/674 रकबा 1.04 बीघा मौजा अहोणी बेनीवालों की ढाणी पटवार हल्का माधासर तहसील बायतु की तरमीम समर्पण आदेश क्रमांक/राजस्व/2014/3978 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार शुद्ध किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार बायतु इसी अनुसार राजस्व रैकर्ड में तरमीम शुद्ध करें।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी,
बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु